सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/DEV-1069/JH/17/2022-RO-RNC (ESDW) **दिनांक: 18.11.2022**

सेवा में,

श्री रमेश करमाली,
चितरपुर प्रखण्ड अध्यक्ष,
ग्राम व पोस्ट - सांडी,
थाना-रजरप्पा,
जिला - रामगढ़
(झारखण्ड)

विषय: सरकार द्वारा 1975 में सेटलमेंट के माध्यम से करमाली जाती के अनुसूचित जनजाती के 16 परिवारों को दी गई 50 डिसिमिल जमीन को धोखे से सी.सी.एल. कंपनी (CCL Company) द्वारा रजरप्पा परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहण करके हड़पने के संबंध मे श्री रमेश करमाली, चितरपुर प्रखण्ड अध्यक्ष, ग्राम व पोस्ट - सांडी, थाना-रजरप्पा, जिला - रामगढ़ (झारखण्ड) का दिनांक 17.03.2020 का अभ्यावेदन।

महोदय,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अंनत नायक जी ने आपके मामलें में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ **दिनांक 01.12.2022 को 12:00 बजे,** आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है ।

2. अत: आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें ।

भवदीय

(एस. पी. मीना)
उप-निदेशक

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003, website : www.ncst.nic.in
Tel. : 011-24657271, 011-24620638 Fax : 011-24624628, 011-24604689, Toll Free 1800117777